संख्या– /VI/2016–29(1)2014 टी.सी.–1

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून दिनांक : 18 मार्च, 2016

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पं. नैनसिंह सर्वेयर के नाम से पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या–1449/ब.पत्रा./2015–16 दिनांक 16.03.2016, शासनादेश संख्या–295/VI-2/2015–29(1)/2014 टी.सी.–I दिनांक 30.03.2015 एवं संख्या–292/VI-2/2015–29(1)/2014 टी.सी.–I दिनांक 30.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पं. नैनसिंह सर्वेयर के नाम से पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित आगणन ₹2498.68 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. के परीक्षणोपरान्त आंकलित धनराशि ₹2042.78 लाख *(सिविल कार्यो हेतु ₹1770.10 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹272.68 लाख)* की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत कार्यो हेतु उक्त शासनादेशों के द्वारा कुल **₹1751.14 लाख** की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से ₹200.00 लाख (दो करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान होने के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में **₹200.00 लाख (दो करोड़ मात्र)** की धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय। भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलंब या अन्य किसी दशा में आगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तदनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

12– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–24–पं.नैनसिंह सर्वेयर माउण्टेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना–00–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 272/VI/2016–29(1)2014 टी.सी.–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून /वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. महा प्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, पिथौरागढ़।
7. जिला कीड़ाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।